

(c) **Under Part-“D”,—(Edible Oil)** the following item shall be added, namely:—

“Edible Oil ”

By order,  
B. K. AGARWAL,  
Secretary.

तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, ..... 2008

संख्या ई0डी0एन0(टी0ई0)ए(3)17/2006.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
सचिव ।

उपाबन्ध-‘क’

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—विभागाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी
2. पदों की संख्या.—01 (एक)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.—12000-375-13500-400-15900-450-16350 / रुपए
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.— लागू नहीं ।



7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—लागू नहीं ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं—लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो—दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिय भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेंडमेंट आधार पर ।

11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण, किया जाएगा—वरिष्ठ प्राध्यापक (कम्प्यूटर इंजिनियरिंग) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ प्राध्यापक कम्प्यूटर (इंजिनियरिंग) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजिनियरिंग और प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित यदि कोई हो को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें से वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा होनी चाहिए, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के सदृश पद और वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से सैकेंडमेंट आधार पर ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस धर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी ।

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने- अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे ।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो/होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है एवहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेंन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ

वैकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाएँ यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों)के प्रवर्ग या पद (पदों)की बावत शिथिल कर सकेगी ।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 17/2006 dated as required under Article 348 (3) of the constitution of India].*

## TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171002, ....., 2008

**No. EDN(TE)A(3)17/2006.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Head of Department, Information Technology Class-I (Gazetted) in the Department of

Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely :—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Head of Department, Information Technology Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules , 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Raj patra, Himachal Pradesh.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

ANNEXURE-'A'

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEAD OF  
DEPARTMENT, INFORMATION TECHNOLOGY CLASS-I, (GAZETTED) IN THE  
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL  
TRAINING, HIMACHAL PRADESH**

1. *Name of the Post.*—Head of Department , Information Technology.
2. *Number of posts.*—01 (One)
3. *Classification.*—Class-I (Gazetted)
4. *Scale of Pay.*—Rs. 12000-375-13500-400-15900-450-16350.
5. *Whether Selection Post or Non-selection.*—Selection.
6. *Age for direct recruitment.*—Not applicable.
7. *Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruits.*—Not applicable.
8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee.*—Age : N. A.

**Educational Qualification.**—N. A.

9. *Period of Probation, if any.*—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.*—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion deputation /transfer is to be made.*—By promotion from amongst the Senior Lecturer

(Computer Engineering) who possess 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Lecturer (Computer Engineering) who possess 08 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade as Senior Lecturer (Computer Engineering) and Lecturer, Computer Engineering/Computer Application/Information Technology combined out of which 02 years essential service must be as Senior lecturer failing both on secondment basis from amongst the officers working in analogous post and pay scale of H.P.Govt./Other State Government/ Central Government.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder posts, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that adhoc Appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior persons in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post whichever is less;

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration of such promotion.

**Explanation.**—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules-3 of the Exservicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**—As may be constituted by the Govt. from time to time.

**13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**—As required under the Law.

14. *Essential requirement for a direct recruitment.*—Not applicable.
15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Not applicable.
16. *Reservation.*—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Class/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. *Departmental Examination.*—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997.
18. *Power to Relax.*—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions if these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ब अदालत श्री डी0 एस0 ठाकुर, सव-रजिस्ट्रार घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

सीता राम पुत्र श्री राम दित्ता, निवासी कुरनाडी, परगना त्यून्, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश प्राथी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम।

उपरोक्त उनवान वाला में श्री सीता राम पुत्र श्री राम दित्ता, निवासी कुरनाडी, परगना त्यून्, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि श्रीमती सराधू देवी विधवा श्री परस राम, निवासी कुरनाडी, परगना त्यून्, तहसील घुमारवीं, मेरे व मेरे भाई के नाम वसीयत बनवाई है, वह पंजीकृत ना है, उसे पंजीकृत किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वसीयत को पुजीकृत करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-11-2008 को असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा वसीयत को पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 एस0 ठाकुर,  
सव-रजिस्ट्रार घुमारवीं,  
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

